विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061066, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

F.No. 22(3)/2009-MA

9 October, 2009

The Chairman,
Madhyanchal Vidhut Nigam Limited,
Lucknow (UP).

Sub: Effective implementation of Central Government's Purchase & Price Preference Policy for Micro & Small Enterprises.

Sir,

This office has received a representation dated 12 August, 2009 from IIA (Indian Industries Association) Madhyanchal Vidhut Nigam Limited, Lucknow (UP) stating that your Nigam has been imposing eligible clause of having minimum annual turnover in the range of Rs. 10.00 - 100.00 crores in the different tenders floated by them. It is stated that such eligible clause restricts the participation of MSEs in the tenders whereas Government is providing various facilities/ benefits to MSEs for promotion & development of MSE sector.

All Ministries/ Departments of Government of India & all the State Governments and their undertakings have been requested not to impose the mandatory eligible clause of minimum turnover for MSEs in the tender floated by them under the clause No. 4 & 5 of Central Government Purchase & Price Preference Policy. A copy of the same is enclosed.

In view of above, you are requested to adhere to the Central Government Policy and revise the terms & conditions of the tenders accordingly.

Yours faithfully,

(N.K. Verma)
Asstt. Director (MA)

Encl: As above.

Copy to: The Executive Director, Indian Industries Association, IIA Bhawan,Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226 010.

ईपीएबीएक्स 3022220, 3022221, 3022211,
3022212, 3022209, 3022202
फैक्स:(91-11) 3018315, 3012694
टेलेक्स:031-66259 डी.सी.एस.आई.
तार:'लघुउद्योगविकास', नई दिल्ली

कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

लघु उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110 011

Phone: EPABX - 3022220, 3022221, 3022211, 3022212, 3022209, 3022202
Fax:(91-11) 3018315, 3012694
Telex: 031-66259-DC-SSI-IN
Telegram:'SMALLINDEVCOM', NEW DELHI

OFFICE OF THE
DEVELOPMENT COMMISSIONER
SMALL SCALE INDUSTRIES

Ministry of Small Scale Industries
Government of India
NIRMAN BHAVAN, 7TH FLOOR
MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI - 110 011
E mail : dcssihq@nb.nic.in

F.No.22(1)/2003/ EP&M

29-7-2003

The Secretary,
All Ministries/Deptt. of Govt. of India

SUB: GOVERNMENT STORES PURCHASE PROGRAMME – GRANT OF BENEFITS TO SMALL SCALE UNITS.

Sir,

Your attention is invited to the instructions issued by this office from time to time and the latest instructions issued on 2nd August 2001 on the subject cited above. Under the Government Stores Purchase Programme, Government of India has been extending various facilities as given below to the SSI units registered with NSIC under its Single Point Registration Scheme:-

(i) Issue of Tender Sets free of cost;
(ii) Exemption from payment of Earnest Money;
(iii) Waiver of Security Deposit upto the Monetary Limit for which the unit is registered; and
(iv) Price Preference upto 15% over the quotation of large-scale units.

In addition to the above, 358 items are also reserved for exclusive purchase from SSI Sector.

2. The aforesaid provisions have been made because the financial resources of SSI units are limited and it becomes difficult for them to participate in more than one tender at a time floated by any Government Department/PSU as this will block their limited capital for long.

3. Although the instructions have been reiterated by the Office from time to time to all the Ministries/Departments of Government of India, complaints are continuously being received from SSI units/Industry Associations that some of the Government Departments/Public Sector Undertakings etc. do not extend these facilities to them.

4. It has also been brought to the notice of this Ministry that some of the Government Departments/Public Sector Undertakings impose mandatory eligibility clauses providing for a minimum turnover limit and amount of purchase orders executed earlier, to the tune of crores in the tenders for procurement of material floated by them.

5. You will kindly agree that issues of concern to a buyer are the quality and price of the product. Turnover is immaterial and putting an eligibility condition of minimum turnover with a threshold of crores of rupees in the tenders discriminate against SSI industries. Hence, the mandatory eligibility clause of minimum turnover should not be imposed for SSI units in the tenders for the procurement of the materials.

6. In view of the above, your co-operation is strongly solicited in extending the marketing support to SSI units in the emerging competitive environment. You are, therefore, requested kindly to impress upon the Purchasing Departments/Agencies working under your control to ensure that the SSI units registered with NSIC are extended the aforesaid facilities and issue further necessary instructions to all concerned departments for strict compliance.

7. Information about action taken in this regard may kindly be communicated to this Office.

Yours faithfully,

(AMIR SUBHANI)
JT. DEV. COMMISSIONER(SSI)

Copy for similar action & compliance:

1 Chief Secretaries, All State Governments/Union Territories.
2 Secretary Industries, State Govts/Union Territories.
3 Chairman & Managing Director, NSIC, New Delhi.
4 DG,DGS&D, New Delhi.
5 Deptt. of Public Enterprises, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi

Copy for information:

1. All Director, SISIs.
2. All Directors in DC (SSI), New Delhi.

(AMIR SUBHANI)
JT.DEV. COMMISSIONER(SSI)

Date of Receipt 17.11.09 No. 16968
Through: Courier Reg / Ord / Others
19/11/09

प्रेषक,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,उ0प्र0,
सामग्री क्रय अनुभाग–7,कानपुर।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष,
कार्यलयाध्यक्ष,उ0प्र0।

2–प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
समस्त शासकीय नियन्त्रणाधीन निगम /परिषद,
प्राधिकरण/स्वायन्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।

पत्रांक /एसपी0एस–7 /एफ/09–10 कानुपर:दिनांक: ,2009

विषयः– **शासकीय सामग्री के क्रय में औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता उपलब्ध कराय जाना।**

महोदय,

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, उ0प्र0, द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में बताया गया है कि सभी सरकारी विभागों/निगमों/उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/उपकरणों का क्रय बडी मात्रा में किया जाता है। पूर्व में प्रदेश की इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की अपेक्षा मूल्य वरीयता व क्रय वरीयता उपलब्ध थी किन्तु वर्तमान में विभागों/ निगमों /उपक्रमों द्वारा निविदाओं के अधार पर न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जा रहा है जिसमें उनके मामलों में प्रदेशीय इकाईयों का मूल्य कम होने पर भी उनकी निविदा इस कारण स्वीकार नही हो पाती है कि प्रदेश के बाहर की इकाइयों को केवल 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्रीकर देना होता है जबकि प्रदेश की इकाइयों को उनके मूल्य पर 13.5 प्रतिशत कर व अतिरिक्त कर देना पड़ता है। फलस्वरूप वस्तु का मूल्य कम होने पर भी प्रदेश के इकाई का निविदा मूल्य अधिक हो जाता है। अनुरोध किया गया है कि प्रदेश की व प्रदेश के बाहर की इकाइयों के निविदा मूल्य की तुलना केन्द्रीय बिक्री कर व प्रदेशीय वैट घटाने के पश्चात किया जाये।

2– पूर्व में शासनादेश संख्या 560/18–796–9(एस0पी0)/94 दिनांक 7.6.96 द्वारा राज्य सरकार की क्रय वरीयता व मूल्य वरीयता नीति घोषित की गयी थी बाद में समय समय पर उक्त शासनदेशों के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये जाते रहें है। शासनादेश संख्यां 73/18–5–2000–9 (एस0पी0)95 दिनांक 18.01.2000 द्वारा पुनः उक्त निर्देशों को पालन करने के निर्देश जारी किये गये जिसके अनुसार प्रदेश की इकाइयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत निम्न सुविधाएं दी गयी ।

क– दरों की तुलना बिक्री कर रहित एफओआर डेस्टीनेशन के आधार पर की जायेगी।

ख– प्रदेश की लद्यु इकाइयों को प्रदेश के बाहर की लद्यु इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत तथा प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहत् इकाइयों की तुलना में 15 प्रतिशत तथा प्रदेश की मध्यम एवं वृहत इकाइयों की तुलना में 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

ग– प्रदेश की मध्यम वृहत् इकाइयों को प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहद् इकायों के सापेक्ष 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

घ– प्रदेश की लद्यु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत कय वरीयता दी जायेगी। यदि प्रदेश की लद्यु एवं कुटीर इकाइयों का मूल्य बाहर की इकाइयों की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक है तो उनकों यह सुविधा दी जायेगी कि निविदा खुलने के बाद न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने पर सहमति दे। यदि किसी निविदा में प्रदेश के बाहर की इकाइयॉ ही भाग लेती हैं तो प्रदेश के बाहर की इकाईयों को भी कय वरीयता का लाभ अनुमन्य होगा।

3– शासनादेश सं0 706 दिनाक 11.06.03 तथा सं0 1261 दिनांक 22.09.06 द्वारा जारी मूल्य वरीयता कय वरीयता नीति को शासनादेश सं0 950/18–5–09–9(एस0पी0)/95 दिनांक 25.08.09 द्वारा अग्रिम 3 वर्षो के लिये पुनः बढा दिया गया है। उक्त शासनादेशों की प्रति अनुपालन हेतु, संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कय वरीयता/मूल्य वरीयता के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शासकीय निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(त्रियुगी नाथ शुक्ला)
संयुक्त निदेशक उद्योग(कय)
कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0।

सं0 762 तद दिनांक 11-11-09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु 12 माल एवेन्यू लखनऊ को उनके पत्र सं0 उ0ब0/एन0 सी0एम0 /09–10/आई0आई0ए/358 दिनांक अक्टूबर 30,2009 के सन्दर्भ में ।

2– अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,आई0आई0ए भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

(त्रियुगी नाथ शुक्ला)
संयुक्त निदेशक उद्योग(कय)
कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0।

संख्या-199/18-5-2004-71डा/99

प्रेषक,

वी0के0 दीवान,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायतशासी संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश।

लघु उद्योग अनु0-5 लखनऊ: दिनाँक: 26 मार्च, 2004

विषय: लघु उद्योग इकाईयों से सामग्री क्रय हेतु भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा आरक्षित किए गए 358 आइटम्स को क्रय में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किए जाने एवं प्रदेश सरकार के क्रय सम्बंधी आदेशों का अनुपालन किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्रांक-22(1)/2003/ईपी एण्ड एम, दिनाँक 29 जुलाई, 2003 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा संलग्न सूची में 358 आइटम्स को लघु उद्योग इकाईयों से क्रय हेतु आरक्षित किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान एवं महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आइटम्स का क्रय अनिवार्य रूप से लघु औद्योगिक इकाईयों से ही किया जाए।

2. शासन के संज्ञान में यह भी तथ्य आया है कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता नीति का शासन के कतिपय विभागों, राज्य सरकार के उपक्रमों तथा अन्य प्रदेशीय संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में राजस्व की हानि होती है तथा यह कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान न करना केवल प्रदेश के औद्योगिक विकास में बाधक ही नहीं है, वरन पूर्व में जारी किए गए विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन है। अतः शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9 (एस.पी.)/95, दिनाँक 11 जून, 2003 द्वारा प्रदेश में लागू मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. मुझे यह भी कहना है कि शासनादेश संख्या-2275/18-5-98-15 (एसपी)/9/92टीसी दिनाँक 07 दिसम्बर, 1998 द्वारा उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध पर उपलब्ध सामग्री का क्रय विभागीय मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत किया जाना वर्जित है। इस सम्बंध में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय की ओर से शासनादेश संख्या-2917/18-5-2000-49(एसपी)/2000, दिनाँक 20.12.2000 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

4. प्रायः यह भी देखने में आया है कि कतिपय विभाग विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति हेतु विभागीय स्तर पर किए जा रहे मात्रा अनुबन्ध में आमंत्रित निविदाओं में इस प्रकार की तकनीकी शर्तें यथा उत्पादन क्षमता व टर्न ओवर आदि की शर्तें लगा देते हैं जिससे एक तरफ सभी लघु औद्योगिक इकाईयां निविदा में प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं तथा दूसरी तरफ क्रेता विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं मिल पाती है। अतः इस प्रकार की कोई भी टेण्डर शर्तें न लगाई जाएं जिससे लघु औद्योगिक इकाईयाँ पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएं। ऐसी शर्तों का लगाया जाना लघु उद्योगों के प्रति भेदभाव, शासकीय क्रय नीति का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। यह व्यवस्था उन आइटम पर नहीं लागू होगी जिसके पर्याप्त गुणवत्ता के एकल आपूर्तिकर्ता हों जिनसे क्रय का औचित्य दर्शाते हुए लघु उद्योग विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

5. मुझे यह भी कहना है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 का मूल उद्देश्य प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों को विपणन सहायता प्रदान करना है तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भारत सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

1. निविदा फार्म निःशुल्क उपलब्ध किया जाना।
2. अर्नेस्ट मनी भुगतान से छूट।
3. पंजीकरण में अंकित वित्तीय सीमा तक जमानत की धनराशि से छूट।
4. वृहद उद्योग इकाईयों द्वारा कोट की गई दर पर 15 प्रतिशत दर वरीयता।

इसी प्रकार उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 को सुविधाएं प्राप्त हैं तथा शासनादेश संख्या-1098/18-5-2000-71क/99, दिनांक 01 जुलाई, 2000 द्वारा समस्त सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रयोगार्थ ऐसे आइटम्स जिनका उद्योग निदेशालय से दर अनुबन्ध अथवा मात्रा अनुबन्ध जारी नहीं है और जिनको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के पक्ष में आरक्षण/वरीयता प्रदान की गई है, का क्रय उक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 के माध्यम से कराया जाए।

कृपया भारत सरकार एवं राज्य सरकार की क्रय नीतियों के अनुसार जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन आदेशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा तथा इस प्रकार के प्रकरण यदि शासन के संज्ञान में आते हैं तो सम्बंधित विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के विरुद्ध कार्यवाही वांछित होगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(वी0के0 दीवान)
मुख्य सचिव

संख्या- 4-39(1)/18-5-2004-71क/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, निगम व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्बद्ध निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा विभागीय खरीद में इनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
4. विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरकार को उनके पत्रांक-22(1)/2000-ईपी एण्ड एस./ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(ज़ोहरा चटर्जी)
सचिव।